अपील सूचना अधिकार संख्या 76/2018 (RCMS 2019/00196) श्री हनुमान बिश्नोई, 12–डी, सेतिया कॉलोनी, मैन रोड, श्रीगंगानगर – 335001 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अंधिकारी, सादुलशहर

18.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हनुमान बिश्नोई स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 07 बिन्दुओं सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने संबंधित से सूचनायें उपलब्ध करवाकर प्रकरण निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हनुमान बिश्नोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. यशपाल आहुजा द्वारा राज्य सेवा में प्रथम दिनांक की एन्ट्री के समय एवं उसके पश्चात दिनांक 30.09.2018 तक डाक बंगला/ट्रांजिट हॉस्टल/सर्किट हाऊस में ठहरने वाली अवधि का प्रमाण हेतु उनकी रसीद और सिर्फ उस अवधि का ही प्राप्त वेतन का वेतन बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवायें।
2. यशपाल आहुजा की सर्विस रिकॉर्ड की सूची या सर्विस बुक की प्रति देवें।
3. यशपाल आहुजा की राज्य सेवा में आने की प्रथम दिनांक की एन्ट्री किस स्थान पर हुई थी और वहां से दिनांक 30.09.2018 तक स्थानान्तरण होते रहने के कारण बार–बार एल.पी.सी ईश्यु हुई, जिसकी एक–एक प्रति उपलब्ध करवायें और बिन्दु सं. 1 में वर्णित डाक बंगले/ट्रांजिट हॉस्टल/सर्किट हाऊस में सरकारी आवास या प्राईवेट आवास प्राप्त करने तक ठहरने की रसदी एव। सिर्फ उन अवधिों के ही वेतन बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवायें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. यशपाल आहुजा की सेवा के प्रथम दिनांक से 31.03.2018 तक भरे गये ए.सी.आर. फॉर्म के साथ संलग्न करने वाला वह पेज जिसमें स्थाई सम्पत्ति का विवरण अंकित किये जाने वाले पेज की प्रतियां देवें। जो उस समय में प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर संगठित होना एवं उसकी वेरीफिकेशन हेतु अप्रुव्ड वैल्यूअर के रिपोर्ट की प्रति सहित देवें।
5. यशपाल आहुजा और उस पर आश्रित सदस्यों की सूची तथा उन पर व्यय होने वाली राशि का पूर्ण ब्यौरा माहवार देवें।
6. यशपाल आहुजा और उस पर आश्रित सदस्यों द्वारा प्राप्त गिफ्ट के जरिये प्राप्त सम्पत्ति आदि की गिफ्ट डीड रजिस्ट्री की प्रति और गिफ्ट देने वाले का पूर्ण स्त्रोत का विवरण मय अप्रुव्ड वैल्युअर के सर्टिफिकेट की प्रति सहित एवं खरीद फरोख्त बिक्री करने सम्बन्ध नियुक्त अधिकारी को किये गये आवेदन पत्र की प्रति आटर उनसे प्राप्त स्वीकृति वाले पत्रों समस्त की एक–एक प्रतियां देवें।
7. यशपाल आहुजा द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले आदेशों की प्रतियां देवें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** ने अपने पत्रांक 596 दिनांक 05.11.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपका आवेदन पत्र 08.10.2018 को प्राप्त हुआ है, जिसमें चाही गई सूचना निम्न प्रकार से है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	यशपाल आहुजा द्वारा राज्य सेवा में प्रथम दिनांक की एन्ट्री के समय एवं उसके पश्चात दिनांक 30.09.2018 तक डाक बंगला/ट्रांजिट हॉस्टल/सर्किट हाऊस में ठहरने वाली अवधि का प्रमाण हेतु उनकी रसीद और सिर्फ उस अवधि का ही प्राप्त वेतन का वेतन बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवायें।	सूचना शून्य है।
2	यशपाल आहुजा की सर्विस रिकॉर्ड की सूची या सर्विस बुक की प्रति देवें।	सर्विस बुक इस कार्यलय में उपलब्ध नहीं है।
3	यशपाल आहुजा की राज्य सेवा में आने की प्रथम दिनांक की एन्ट्री किस स्थान पर हुई थी और वहां से दिनांक 30.09. 2018 तक स्थानान्तरण होते रहने के कारण बार–बार एल.पी.सी ईश्यु हुई, जिसकी एक–एक प्रति उपलब्ध करवायें और बिन्दु सं. 1 में वर्णित डाक बंगले/ट्रांजिट हॉस्टल/ सर्किट हाऊस में सरकारी आवास या प्राईवेट आवास प्राप्त करने तक ठहरने की रसदी एव। सिर्फ उन अवधिों के ही वेतन बिलों की प्रतियां उपलब्ध करवायें।	15.09.1998 से राज्य सेवा में नियुक्त है। शेष सूचना उपलब्ध नहीं है।
4	यशपाल आहुजा की सेवा के प्रथम दिनांक से 31.03.2018 तक भरे गये ए. सी.आर. फॉर्म के साथ संलग्न करने वाला वह पेज जिसमें स्थाई सम्पत्ति का विवरण अंकित किये जाने वाले पेज की प्रतियां देवें। जो उस समय में प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर संगठित होना एवं उसकी वेरीफिकेशन हेतु अप्रुव्ड वैल्यूअर के रिपोर्ट की प्रति सहित देवें।	सम्पत्ति विवरण की प्रति Public Domain में उपलब्ध है। जिसकी प्रति सूचनार्थ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। ए.सी.आर. की प्रत इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है।
5	यशपाल आहुजा और उस पर आश्रित सदस्यों की सूची तथा उन पर व्यय होने वाली राशि का पूर्ण ब्यौरा माहवार देवें।	सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती, न ही रिकॉर्ड में संधारित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6	यशपाल आहुजा और उस पर आश्रित सदस्यों द्वारा प्राप्त गिफ्ट के जरिये प्राप्त सम्पत्ति आदि की गिफ्ट डीड रजिस्ट्री की प्रति और गिफ्ट देने वाले का पूर्ण स्त्रोत का विवरण मय अप्रुव्ड वैल्युअर के सर्टिफिकेट की प्रति सहित एवं खरीद फरोख्त बिक्री करने सम्बन्ध नियुक्त अधिकारी को किये गये आवेदन पत्र की प्रति आटर उनसे प्राप्त स्वीकृति वाले पत्रों समस्त की एक–एक प्रतियां देवें।	सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं की जाती न ही रिकॉर्ड से संबंधित है।
7	यशपाल आहुजा द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाले आदेशों की प्रतियां देवें।	इस कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्धारित अवधि में अपील कर सकते हे।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से **उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 7 के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे **एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर